CAPITAL FLOAT

२०२

संबंधित पक्ष लेनदेन नीति V१.१

इस दस्तावेज में एनबीएफसी (NBFC) के लिए संबंधित पक्ष लेनदेन की मुख्य विशेषताओं का विवरण है।

©कैपफ्लोट फाइनेंसियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड

१. प्रस्तावना

कैपफ्लोट फाइनेंसियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड मानता है कि संबंधित पक्ष लेनदेन में संभावित या वास्तविक हितों का टकराव हो सकता है और यह सवाल उठ सकता है कि क्या ऐसे लेनदेन कंपनी और उसके शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित के अनुरूप हैं और कंपनी अधिनियम, २०१३ ("अधिनियम") और मास्टर निर्देश - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण जमा न लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, २०१६ ("निर्देश") के प्रावधानों के अनुपालन में हैं।

नीति में समय-समय पर संशोधन, यदि कोई हो, पर लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा विचार किया जाएगा।

यह नीति कंपनी और उसके एक या अधिक संबंधित पक्षों के बीच लेनदेन पर लागू होती है। यह सामग्री लेनदेन सहित संबंधित पक्ष लेनदेन के शासन और रिपोर्टिंग के लिए एक ढाँचा प्रदान करता है।

२. उद्देश्य

इस नीति का उद्देश्य कैपफ्लोट फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और उसके संबंधित पक्षों के बीच लेनदेन के उचित अनुमोदन और रिपोर्टिंग के लिए एक शासन ढाँचे को परिभाषित करना है। कंपनी को हर वर्ष वित्तीय विवरणों में खुलासा करना होता है और बोर्ड कंपनी संबंधित पक्षों के बीच सभी भौतिक लेनदेन की रिपोर्ट करता है। कंपनी को अपनी वेबसाइट पर संबंधित पक्ष लेनदेन से निपटने की नीति का खुलासा करना होगा और वार्षिक रिपोर्ट में एक वेब लिंक प्रदान करना होगा।

३. परिभाषाएँ

संबंधित पक्ष: किसी इकाई को कंपनी से संबंधित माना जाएगा यदि:

i. ऐसी इकाई कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा २(७६) के तहत एक संबंधित पक्ष है; या

ii. ऐसी संस्था भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लागू लेखा मानकों के तहत एक संबंधित पक्ष है।

संबंधित पक्ष लेनदेन या आरपीटी (RPT) का अर्थ कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १८८ (१) और/या समय-समय पर संशोधित आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लागू लेखा मानकों के तहत संबंधित पक्ष के साथ अनुबंध या व्यवस्था है।

@कैपफ्लोट फाइनेंसियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड

भौतिक संबंधित पक्ष लेनदेन का मतलब है कि संबंधित पक्ष के साथ किए गए लेनदेन को भौतिक माना जाएगा, यदि लेन-देन को अलग-अलग किया जाना है या किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेनदेन के साथ मिलाकर कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण या ऐसी सीमाएं जो कंपनी अधिनियम, २०१३ में समय-समय पर निर्धारित की जा सकती हैं, उसमें कंपनी के वार्षिक समेकित टर्नओवर के दस प्रतिशत से अधिक है।

४. संबंधित पक्ष की पहचान

सचिवीय टीम, कंपनी अधिनियम २०१३ के २(७६) के तहत निर्धारित नियमों के साथ पठित संबंधित पार्टी के लिए परिभाषा के आधार पर पहचाने गए कंपनी के संबंधित पक्षों का डेटाबेस हमेशा बनाए रखेगी। डेटाबेस में व्यक्तियों और कंपनियों के नाम के साथ-साथ उनके व्यक्तिगत / कंपनी के विवरण शामिल होने चाहिए, जिसमें कोई संशोधन भी शामिल है।

५. संबंधित पक्ष के लेनदेन की पहचान

- अधिनियम की धारा १८८ और/या आईसीएआई द्वारा जारी लागू लेखा मानकों के अनुसार कंपनी संबंधित पक्ष लेनदेन की पहचान करती है। कंपनी यह भी निर्धारित करती है कि क्या लेन-देन व्यवसाय के सामान्य क्रम में है और आमने-सामने के आधार (आर्मस् लेंथ बेसिस) पर है और इस उद्देश्य के लिए, यदि आवश्यक हो, तो कंपनी बाहरी पेशेवर राय लेती है।

- कंपनी एक वित्तीय वर्ष में आयोजित बोर्ड और लेखा परीक्षा समिति की अंतिम बैठक में तत्काल अगले वित्तीय वर्ष के लिए एक अनुमानित संबंधित पक्ष लेनदेन को मंजूरी देगी।

६. संबंधित पक्ष लेनदेन की समीक्षा और अनुमोदन

६.१ <u>लेखा परीक्षा समिति</u>

६.१.१. आरपीटी (RPT) के रूप में पहचाने जाने वाले सभी लेन-देन को इस तरह के लेनदेन में प्रवेश करने से पहले लेखा परीक्षा समिति द्वारा या तो बैठक में या परिपत्र में संकल्प के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से पूर्व-अनुमोदित किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा समिति आरपीटी (RPT) के अनुमोदन के लिए इस पर विचार-विमर्श करते समय सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करेगी। बशर्ते कि उपरोक्त प्रावधान कंपनी और होल्डिंग कंपनी के बीच अधिनियम की धारा १८८ में निर्दिष्ट लेनदेन के अलावा अन्य लेनदेन पर लागू नहीं होंगे।

६.१.२. समिति का कोई भी सदस्य, जिसकी किसी भी संबंधित पक्ष के लेन-देन में संभावित रुचि है, खुद को अलग कर लेगा और चर्चा से दूर रहेगा और संबंधित पक्ष लेनदेन को मंजूरी देने के लिए मतदान नहीं करेगा। एक संबंधित पक्ष लेनदेन जो

i. व्यवसाय के सामान्य क्रम में नहीं है, या

ii. आमने-सामने (आर्मस् लेंथ) की कीमत पर नहीं है, इसके लिए निदेशक मंडल या शेयरधारकों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी जैसा कि बाद में चर्चा किया गया है।

६.१.३. लेखापरीक्षा समिति संबंधित पक्ष लेनदेन के लिए सर्वव्यापी अनुमोदन प्रदान कर सकती है जो दोहराए जाने वाले प्रकृति के हैं, और ऐसे मानदंडों/शर्तों जैसा कि कंपनी अधिनियम, २०१३ के प्रावधानों के तहत उल्लिखित है और ऐसी अन्य शर्तों जो इस नीति के अनुरूप आवश्यक समझी जा सकती हैं, उनके अधीन हैं, और कंपनी के हित में हैं। ऐसी सर्वव्यापक स्वीकृति एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए वैध नहीं होगी और एक वर्ष की समाप्ति के बाद नए अनुमोदन की आवश्यकता होगी। सर्वव्यापी अनुमोदन निर्दिष्ट करेगा:

i. संबंधित पक्ष का नाम, लेन-देन की प्रकृति, लेन-देन की अवधि, लेन-देन की अधिकतम राशि जो दर्ज की जाएगी; और
ii. सांकेतिक आधार मूल्य / वर्तमान अनुबंधित मूल्य और मूल्य में परिवर्तन के लिए सूत्र यदि कोई हो।
iii. ऐसी अन्य शर्तें जो लेखा परीक्षा समिति उचित समझे: कंपनी के उपक्रम को बेचने या निपटाने के संबंध में लेनदेन के लिए सर्वव्यापी अनुमोदन नहीं दिया जाएगा।

६.१.४. लेखा परीक्षा समिति तिमाही आधार पर कंपनी द्वारा किए गए संबंधित पार्टी लेनदेन के विवरण की समीक्षा करेगी, जो सर्वव्यापी अनुमोदन के अनुसार होगा।

६.१.५. कंपनी द्वारा किए गए आरपीटी (RPT), जो सर्वव्यापक अनुमोदन के अधीन या अन्यथा समिति द्वारा पूर्व-अनुमोदित नहीं हैं, अधिनियम की धारा १७७ के प्रावधानों के अनुसार संपुष्टि के लिए समिति के समक्ष रखे जाएँगे।

६.१.६. लागू कानूनों के अधीन, आरपीटी (RPT), जो इस नीति के अनुसार नहीं हैं, उसकी पुष्टि करने, संशोधित करने या समाप्त करने की शक्ति लेखा परीक्षा समिति के पास होगी।

@कैपफ्लोट फाइनेंसियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड

६.२ <u>निदेशक मंडल</u>

६.२.१. यदि किसी भी आरपीटी (RPT) को कंपनी द्वारा अनुमोदन के लिए को बोर्ड के पास भेजा जाता है

क्योंकि लेन-देन

i. व्यवसाय के सामान्य क्रम में नहीं है, या
ii. आमने-सामने की कीमत पर नहीं है, ऐसे लेनदेन लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर केवल कंपनी के निदेशक मंडल के पूर्व अनुमोदन से प्रभावी होंगे।

६.२.२. बोर्ड लेनदेन की प्रकृति, भौतिक शर्तें, मूल्य निर्धारण का तरीका और ऐसे लेनदेन में प्रवेश करने के लिए व्यावसायिक तर्क जैसे कारकों पर विचार करेगा। इस तरह के विचार पर, बोर्ड लेन-देन को मंजूरी दे सकता है या उसे लेन-देन की शर्तों में ऐसे संशोधनों की आवश्यकता हो सकती है जैसा कि वह परिस्थितियों में उचित समझे।

६.२.३. बोर्ड का कोई भी सदस्य, जिसकी किसी भी संबंधित पक्ष के लेन-देन में कोई दिलचस्पी है, खुद को अलग कर लेगा और चर्चा से दूर रहेगा और संबंधित पक्ष लेनदेन को मंजूरी देने के लिए मतदान नहीं करेगा।

६.३ शेयरधारक

यदि कोई संबंधित पक्ष लेनदेन व्यवसाय के सामान्य क्रम में नहीं है, या आमने-सामने की कीमत पर नहीं है और भौतिक संबंधित पक्ष लेनदेन है, तो इसे शेयरधारकों के एक संकल्प द्वारा मंजूरी की आवश्यकता होगी।

६.४ आरपीटी (RPT) को रिपोर्ट करना

६.४.१. प्रत्येक अनुबंध या व्यवस्था, जिसे इस नीति के तहत बोर्ड/शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, इस तरह के अनुबंध या व्यवस्था में प्रवेश करने के औचित्य के साथ शेयरधारकों को बोर्ड की रिपोर्ट में संदर्भित किया जाएगा।

६.५ आरपीटी (RPT), जो पहले से अनुमोदित नहीं हैं

६.५.१. यदि कंपनी को एक आरपीटी (RPT) के बारे में पता चलता है जिसे इस नीति के तहत अनुमोदित या अनुसमर्थित नहीं किया गया है, तो लेन-देन को समिति या बोर्ड या शेयरधारकों के समक्ष यथासंभव शीघ्रता से रखा जाएगा जैसा कि इस नीति और लागू कानूनों और समय-समय पर संशोधित विनियमों के अनुसार और अनुपालन में आवश्यक हो सकता है।

६.५.२. समिति या बोर्ड या शेयरधारक ऐसे लेन-देन से संबंधित सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करेंगे और कंपनी के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों का मूल्यांकन करेंगे, जिसमें ऐसे लेनदेन का अनुसमर्थन, संशोधन या समाप्ति शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, और कंपनी ऐसी कार्रवाई करेगी जैसा कि समिति परिस्थितियों में उपयुक्त समझती है।

@कैपफ्लोट फाइनेंसियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड